



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 01/सेट/2025

दिनांक— 15.10.2025

राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)—2025 / State Eligibility Test (SET)-2025

परीक्षा तिथि — 11.01.2026 (रविवार)

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की
प्रारम्भिक तिथि— 25.10.2025

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की
अंतिम तिथि— 20.11.2025

A. परिचय

1. राज्य पात्रता परीक्षा-2025, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
2. यह विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र www.mponline.gov.in अथवा www.mppsc.mp.gov.in के माध्यम से भरे जा सकेंगे।
4. आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
5. यह पात्रता परीक्षा ओ.एम.आर. आधारित ऑफलाइन पद्धति से एक सत्र में आयोजित होगी।
6. आवेदक जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं, उस विषय में मध्य प्रदेश स्लेट/सेट/यू.जी.सी. नेट/सी.एस.आई.आर. नेट पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, केवल वे ही आवेदन करें।
7. परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी हेतु आवेदक आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in का निरंतर अवलोकन करते रहें।
8. यह पात्रता परीक्षा है। अतः यात्रा व्यय की पात्रता किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को नहीं होगी।
9. विज्ञापन की समस्त शर्तें एवं नियम आवेदकों के लिए अनिवार्य हैं। सभी आवेदक विज्ञापन का सूक्ष्मता से अध्ययन करें।

B. महत्वपूर्ण तिथियां एवं परीक्षा शुल्क

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि	25.10.2025
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	20.11.2025
त्रुटि सुधार की अवधि	30.10.2025 से 22.11.2025
परीक्षा शुल्क	
मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), EWS, एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों हेतु	रु. 250/- (40/- रुपए पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय)
अन्य श्रेणियां व मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों हेतु	रु. 500/- (40/- रुपए पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय)
त्रुटि सुधार	रु. 50/- प्रति सुधार सत्र

विलम्ब शुल्क – प्रथम चरण

विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि	21.11.2025 से 28.11.2025	रु. 3,000 /- (40 /- रुपए पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय)
त्रुटि सुधार	23.11.2025 से 30.11.2025	रु. 50 /- प्रति सुधार सत्र

विलम्ब शुल्क – द्वितीय चरण

विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि	29.11.2025 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व	रु. 25,000 /- (40 /- रुपए पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय)
त्रुटि सुधार	01.12.2025 से परीक्षा तिथि के 08 दिन पूर्व	रु. 50 /- प्रति सुधार सत्र
परीक्षा तिथि	11.01.2026 (रविवार)	

C. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

- अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर तृतीय/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होगा।
- अनारक्षित/सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी (केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है।
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों को यूजी.सी. के निर्देशानुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत होना आवश्यक है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तथा जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है अथवा परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी अभ्यर्थी प्रावधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह हैं।
- अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के परीक्षा में पात्र होने पर भी अर्हता प्रमाण-पत्र तभी मान्य होगा, जब राज्य पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होने के दो वर्ष की अवधि में अनारक्षित, ई.डब्ल्यू.एस. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी के (केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा।
- ऐसे पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 सितंबर, 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शैक्षणिक अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) देय होगी।
- ऐसे अभ्यर्थियों भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, किन्तु उन्हें एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज (AIU), नई दिल्ली से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष है।

D. आयु संबंधी सूचना

राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है।

E. आरक्षण के संबंध में निर्देश

1. आरक्षण प्रक्रिया 'मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994' के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्य प्रदेश शासन के अनुदेशानुसार होगी।
2. समस्त आरक्षण मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ई.डब्ल्यू.एस. अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग व दिव्यांगजन आवेदकों को देय छूट, केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी, अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे।
3. मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग में भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा उन्हें कोई छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होगा।
4. मध्य प्रदेश के बाहरी राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस. महिला आवेदक तथा दिव्यांगजन उम्मीदवार अपना वर्ग ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अनारक्षित लिखें।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ई.डब्ल्यू.एस./अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) का जाति प्रमाण-पत्र मध्य प्रदेश शासन के प्राधिकृत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जारी ई-सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
6. मध्य प्रदेश के निःशक्तजन अभ्यर्थियों को केवल जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक के स्थायी, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर ही आरक्षण देय होगा।
7. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्य प्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स./302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे। उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।
8. दिव्यांगजन को उनकी दिव्यांगता श्रेणी के अनुसार राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजन के प्रवर्ग में निःशक्तजन की चार श्रेणी में कुल हॉरिजॉन्टली 06 प्रतिशत आरक्षण होगा। मध्य प्रदेश राज पत्र क्रमांक 597, भोपाल दिनांक 21 नवम्बर 2022 में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा उच्च शिक्षा के सहायक प्राध्यापक पदों में दिव्यांगजन की चार श्रेणी में से कॉलम 09 में उल्लिखित (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग, डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और अन्य तीन श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा)। Library and Information Science एवं Physical Education विषय के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की आरक्षित तीन श्रेणी में से दृष्टिबाधित श्रेणी के उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि उक्त राजपत्र के अनुसार मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने दृष्टिबाधित और कम दृष्टि की श्रेणी के लिए ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पद आरक्षित नहीं किए हैं।
9. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मान्य होना चाहिए।
10. प्रत्येक श्रेणी में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला प्रवर्ग हेतु हॉरिजॉन्टली 35 प्रतिशत आरक्षण होगा।
11. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/पात्रता परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। जिसका जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होगा।

F. परीक्षा योजना

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नवीन निर्देशों के परिपालन में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
2. परीक्षा सत्र की अवधि बिना अन्तराल के 03 घंटे की होगी।
3. राज्य पात्रता परीक्षा में कुल दो प्रश्न-पत्र होंगे—

प्रथम प्रश्न-पत्र (अनिवार्य)— सामान्य प्रश्न-पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति (General Paper on Teaching and Research Aptitude) वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्न 50 (पचास) होंगे। अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 (सौ) अंकों का होगा।
द्वितीय प्रश्न-पत्र (ऐच्छिक)— यह प्रश्न पत्र चयनित विषय का होगा। इसमें कुल 100 (सौ) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 200 (दो सौ) अंकों का होगा।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	परीक्षा अवधि
प्रथम (अनिवार्य)	50 प्रश्न, सभी अनिवार्य	100	03 घंटे (180 मिनट)
द्वितीय (वैकल्पिक)	100 प्रश्न, सभी अनिवार्य	200	

G. प्रश्न पत्र का माध्यम

1. प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा।
2. भाषा विषय का प्रश्न-पत्र संबंधित भाषा में होगा।
3. प्रश्न-पत्र में संरचना व अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिन्दी में लिखे प्रश्न को ही वरीयता दी जाएगी।

H. अंकन योजना

1. प्रत्येक प्रश्न के लिए 02 (दो) अंक होंगे।
2. प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 02 (दो) अंक प्राप्त होंगे।
3. ऋणात्मक मूल्यांकन (No Negative Marks) नहीं किया जाएगा।
4. अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही विकल्प उत्तर के तौर पर चुनना है।
5. किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।
6. एकाधिक उत्तर वाले प्रश्नों की स्थिति में उन अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने किसी भी सही उत्तर को चयन किया है।
7. अगर किसी प्रश्न को विलोपित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को दो अंक (02) प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें।
8. अर्ह घोषित अभ्यर्थियों की सभी वर्गों/वर्गों की श्रेणीवार गुणानुक्रम सूची में अंतिम अर्ह अभ्यर्थी के प्राप्तांक (Cut off) के समान अंक पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भी अर्ह सूची में शामिल किया जाएगा।

I. परीक्षा के विषय, सह-विषय एवं कोड

यू.जी.सी. नेट व सी.एस.आई.आर. नेट के विषयान्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्र. 1093/104/सी.सी./22/38, दिनांक 23.12.2022, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 1-2/2021/38-1 भोपाल, दिनांक 07.03.2024, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 1-2/2021/38-1 भोपाल, दिनांक 27.11.2024 एवं उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 1-2/2021/38-1 भोपाल, दिनांक 26.09.2025 के अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा के विषय एवं स्नातकोत्तर स्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची अनुमोदित हैं—

स.क्र.	प्रश्न पत्र	विषय कोड
	(अनिवार्य प्रथम प्रश्न-पत्र)	General Paper on Teaching & Research Aptitude सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति
	(ऐच्छिक द्वितीय प्रश्न-पत्र)	स्नातकोत्तर स्तर के विषय
01	Chemical Sciences (रसायन विज्ञान)	Chemistry (रसायन शास्त्र) Organic Chemistry (कार्बनिक रसायन शास्त्र) Physical Chemistry (भौतिक रसायन शास्त्र) Applied Chemistry (व्यावहारिक रसायन शास्त्र)

		Environmental Chemistry (पर्यावरण रसायन शास्त्र) Pharmaceutical Chemistry (फार्मास्युटिल रसायन शास्त्र) Inorganic Chemistry (अकार्बनिक रसायन शास्त्र) Industrial Chemistry (औद्योगिक रसायन शास्त्र) Analytical Chemistry (विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र)	
02	Commerce (वाणिज्य)	Commerce (वाणिज्य)	02
03	Computer Science & Applications (संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग)	Computer Science (संगणक विज्ञान)	03
04	Criminology (अपराध विज्ञान)	Criminology (अपराध विज्ञान)	04
05	Defence and Strategic Studies (रक्षा और र्नातेजिक अध्ययन)	Millitary Science (सैन्य विज्ञान)	05
06	Economics (अर्थशास्त्र)	Economics (अर्थशास्त्र) Master of Business Economics (एम.बी.ई.) Applied Economics (व्यावहारिक अर्थशास्त्र) MBA Business Economics (एम.बी.ए. व्यावसायिक अर्थशास्त्र)	06
07	English (अंग्रेजी)	English (अंग्रेजी)	07
08	Earth, Atmospheric, Ocean and Planetary Science (पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान)	Geology (भूगर्भ शास्त्र) Applied Geology (व्यावहारिक भूगर्भ शास्त्र) Planetary (प्लेनेटरी) Geophysics (जियोफिजिक्स) Earth Science (भू-विज्ञान) Remote Sensing (रिमोट सेंसिंग)	08
09	Geography (भूगोल)	Geography (भूगोल)	09
10	Hindi (हिन्दी)	Hindi (हिन्दी) Linguistics (भाषा विज्ञान)	10
11	History (इतिहास)	History (इतिहास) Modern History (आधुनिक इतिहास) Medeval History (मध्यकालीन इतिहास) Ancient History (प्राचीन इतिहास)	11
12	Home Science (गृह विज्ञान)	Home Science (गृह विज्ञान)	12
13	Law (विधि)	Law (विधि)	13
14	Library and Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)	Library Science (पुस्तकालय विज्ञान) Library and Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)	14
15	Life Science (जीव विज्ञान)	Botany (वनस्पति शास्त्र) Zoology (प्राणी शास्त्र) Bio Chemistry (जैव रसायन) Micro Biology (सूक्ष्म जीव विज्ञान) Biotechnology (जैवप्रौद्योगिकी) Bio Science (जैव विज्ञान) Environmental Science (पर्यावरण विज्ञान) Bioinformatic Science (बायो इंफरमेटिक्स साइंस) Fisheries (मत्स्य विज्ञान) Aquaculture (मत्स्य पालन) Limnology (सरोविज्ञान) Entomology (कीट विज्ञान)	15

		Genetics (आनुवांशिकी) Genetic Engineering (आनुवांशिकी यांत्रिकी) Life Science (जीव विज्ञान) Industrial Microbiology (औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान) Seed Technology (बीज तकनीकी)	
16	Management (प्रबंधन)	Management (प्रबंधन) (including Business Admn. Mgt./Marketing/ Marketing Mgt./Industrial Relations and Personnel Mgt./ Personnel Mgt./Financial Mgt./Co- operative Management.	16
17	Marathi (मराठी)	Marathi (मराठी)	17
18	Mathematical Sciences (गणितीय विज्ञान)	Mathematics (गणित) Computational Mathematics (संगणन गणित) Applied Mathematics (व्यावहारिक गणित) Industrial Mathematics (औद्योगिक गणित) Mathematical Science(गणितीय विज्ञान)	18
19	Music (संगीत)	Music (संगीत) Music Instrument (संगीत वादन) Music Vocal (संगीत गायन)	19
20	Performing Arts (कलामंच)	Dance (नृत्य)	20
21	Philosophy (दर्शनशास्त्र)	Philosophy (दर्शनशास्त्र)	21
22	Physical Education (शारीरिक शिक्षा)	Physical Education (शारीरिक शिक्षा)	22
23	Physical Science (भौतिक विज्ञान)	Physics (भौतिक) Applied Physics (व्यावहारिक भौतिकी) Material Science (पदार्थ विज्ञान) Electronics (इलेक्ट्रॉनिक्स)	23
24	Political Science (राजनीति विज्ञान)	Political Science (राजनीति विज्ञान) Public Administration (लोक प्रशासन) International Relation (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	24
25	Psychology (मनोविज्ञान)	Psychology (मनोविज्ञान) Clinical Psychology (चिकित्सकीय मनोविज्ञान) Applied Psychology (व्यावहारिक मनोविज्ञान)	25
26	Sanskrit (संस्कृत)	Sanskrit (संस्कृत)	26
27	Sanskrit Traditional Subjects (संस्कृत परंपरागत विषय)	Sanskrit Astrology (संस्कृत ज्योतिष) Sanskrit Oriental (संस्कृत प्राच्य) Sanskrit Literature (संस्कृत साहित्य) Sanskrit Grammer (संस्कृत व्याकरण) Sanskrit Literature Oriental (संस्कृत साहित्य प्राच्य) (धर्मशास्त्र)	27
28	Sociology (समाज शास्त्र)	Sociology (समाज शास्त्र) Anthropology (मानव शास्त्र) Social Work (सामाजिक कार्य)	28
29	Urdu (उर्दू)	Urdu (उर्दू)	29
30	Visual Arts (विजुअल आर्ट्स)	Drawing and Painting (चित्रकला)	30
31	Yoga (योग)	Yoga (योग)	31

J. मान्य स्नातकोत्तर उपाधियों की सूची

1. Master of Commerce (M.com.)	6. Master of Science (M.Sc.)	11. Master of Physical Education (M.P.Ed.)
2. Master of Library Science (M.Lib.sc.)	7. Master of Statistics (M.Stat.)	
3. Master of Literature (M.Litt.)	8. Master of Arts (M.A.)	12. Master of Physical Education & Sports Science (MPES)
4. Master of Computer Application (M.C.A.)	9. Acharya (Sanskrit Traditional)	
5. Integrated BS-MS	10. Master of Law (LLM)	

K. परीक्षा के प्रस्तावित कोड एवं शहर

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर
1	इन्दौर	4	जबलपुर	7	सागर	10	शहडोल
2	भोपाल	5	रीवा	8	उज्जैन	11	खरगोन
3	ग्वालियर	6	सतना	9	नर्मदापुरम	12	रतलाम

L. शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

- ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक परीक्षा शहर सावधानीपूर्व चुने। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से परीक्षा शहरों/केन्द्रों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।
- आवेदक उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित शहर में से उसकी अग्रमान्यता के अनुसार अधिकतम चार शहर चुन सकेगा। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जाए।
- आयोग के प्रशासनिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से भिन्न शहर आवंटित कर सकता है तथा शहरों की संख्या कम या अधिक कर सकता है या परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- आयोग द्वारा आवंटित केन्द्र/शहर के परिवर्तन के संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा आवंटित केन्द्र का एक दिन पूर्व अवलोकन करना उचित होगा।
- मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा संचालन की सुविधा अनुसार केन्द्र का आवंटन अंतिम रूप से आयोग द्वारा निर्धारित होंगे। परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गए विकल्प शहर के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नंबर प्रदाय किए जाएंगे।

M. पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश

- प्रश्न-पत्र पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतया वस्तुनिष्ठ (Objective Type Question) प्रकार का होगा। जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न-सुमेलित, सत्य/असत्य, कथन-कारण का प्रकार के (Multiple Choice Question : Matching, True/False, Assertion Reasoning Type) होंगे।
- Erath, Atmospheric, Ocean and Planetary Sciences, Chemical Sciences, Life Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, विषय के परीक्षा प्रारूप भी यूजी.सी. नेट परीक्षा प्रारूप के अनुसार रहेगा। सी.एस.आई.आर. के निर्देशानुसार Mathematical Sciences के पाठ्यक्रम में 4 इकाई है जो गणित एवं सांख्यिकी विषय के अभ्यर्थी के लिए इकाई अनुसार विभाजित है। इकाई प्रथम गणित और सांख्यिकी के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है और इकाई द्वितीय व तृतीय गणित विषय तथा इकाई चतुर्थ सांख्यिकी के अभ्यर्थियों के लिए रहेगी।
- विषयों के पाठ्यक्रम यूजी.सी. व सी.एस.आई.आर. नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार है।
- पाठ्यक्रम संबंधी समस्त निर्देश आवेदकों को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे।

42

N: यूजीसी एवं सी:एसआईआर नेट के निर्देशानुसार पाठ्यक्रम

S.N.	Name of Subject	Syllabus in Available Languages	
		English	Hindi
00	प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य) General Paper on Teaching & Research Aptitude	English	Hindi
	द्वितीय प्रश्न पत्र (ऐच्छिक)		
1	Chemical Sciences	English	
2	Commerce	English	Hindi
3	Computer Science & Applications	English	
4	Criminology	English	Hindi
5	Defence and (strategic) studies	English	Hindi
6	Economics	English	Hindi
7	English	English	
8	Erath, Atmospheric, Ocean and Planetary Sciences	English	
9	Geography	English	Hindi
10	Hindi		Hindi
11	History	English	Hindi
12	Home science	English	Hindi
13	Law	English	Hindi
14	Library and Information Science	English	Hindi
15	Life Sciences	English	
16	Management	English	Hindi
17	Marathi	Marathi	
18	Mathematical Sciences	English	
19	Music	English	Hindi
20	Performing Arts (Dance, Drama, Theatre)	English	Hindi
21	Philosophy	English	Hindi
22	Physical Education	English	Hindi
23	Physical Sciences	English	
24	Political science	English	Hindi
25	Psychology	English	Hindi
26	Sanskrit	Sanskrit	
27	Sanskrit Traditional Subjects	Sanskrit	

28	Sociology	English	Hindi
29	Urdu	Urdu	
30	Visual Arts	English	Hindi
31	Yoga	English	Hindi

उक्त विषय के पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in तथा यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. की वेबसाइट <https://www.ugcnetonline.in/syllabus-new.php> एवं <https://csirhrdg.res.in/Home/Index/1/Default/2666/78> पर उपलब्ध हैं।

O. परीक्षा परिणाम की घोषणा

1. परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति/नियम के अनुसार (मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विषयवार कुल स्लॉट के 87 प्रतिशत का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, शेष 13 प्रतिशत स्लॉट को सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रकरण के अंतिम न्यायालयीन निर्णय पश्चात् घोषित किया जाएगा।
2. परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति/नियम (मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार समस्त विषयों के दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप में निर्धारित की जाएगी—

प्रथम चरण— सर्वप्रथम समस्त विषयों के दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप में निर्धारित की जाएगी।

द्वितीय चरण— द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 06 प्रतिशत के प्राप्त कुल अर्ह संख्या (स्लॉट) को मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार (मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत अनुसार अर्ह संख्या (स्लॉट) आवंटित कर दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत श्रेणियों हेतु आरक्षित किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में महिला प्रवर्ग हेतु हॉरिजॉन्टली 35 प्रतिशत आरक्षण होगा। दिव्यांगजन को उनकी दिव्यांगता श्रेणी के अनुसार राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजन के प्रवर्ग में दिव्यांगजन की श्रेणी अनुसार में कुल हॉरिजॉन्टली 06 प्रतिशत आरक्षण होगा।

तृतीय चरण— प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर अर्हता संख्या (स्लॉट) ज्ञात की जाएगी—

क्र.	श्रेणी	(प्रथम एवं द्वितीय) दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं ई.डब्ल्यू.एस.	40%
2.	आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन	35%

चतुर्थ चरण— विषयवार एवं वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा किया जाएगा—

विषय के उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर ली है

_____ X उस श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हता संख्या (स्लॉट)

उस श्रेणी के समस्त विषयों के न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या

(a) यदि अर्हता संख्या (स्लॉट) निर्धारण में प्रतिशत दशमलव में प्राप्त होता है तो —

(अ) यदि अर्हता प्रतिशत 1 से कम तथा दशमलव में हो तो उसे एक माना जाएगा।

(ब) यदि अर्हता प्रतिशत 1 से अधिक हो तो उसे समीपस्थ पूर्णांक प्रतिशत में समायोजित किया जाएगा।

(b) विषयवार श्रेणियों एवं वर्गों में स्लॉट विभाजन की गणना के प्रतिशत में परिणाम दशमलव में प्राप्त होने पर 0.5 के पूर्व दशमलव अंकों को पूर्ववर्ती पूर्णांक में तथा 0.5 एवं उससे अधिक होने पर अपने पश्चातवर्ती पूर्णांक में समायोजित किया जाएगा।

3. परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात् किसी प्रकार की अनुपूरक सूची (प्रतीक्षा सूची) तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है।
4. परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ को परीक्षा परिणाम में संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
5. यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को पात्रता ई-प्रमाण-पत्र (Electronic Certificate) नहीं दिया जाएगा।

P. प्रश्न-पत्र के संदर्भ में आपत्ति आमंत्रण

परीक्षा उपरान्त परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 05 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात या किसी अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 150/-रुपए (Non Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा। प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
2. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, को विषय-विशेषज्ञों की अनुशंसा उपरान्त सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्न-पत्र से विलोपित किया जाएगा।
4. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर-कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय-विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
5. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान करते हुए, जारी की गई अंतिम उत्तर-कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों के उत्तर का मूल्यांकन कर, परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

Q. पात्रता प्रमाण पत्र

1. UGC की प्रक्रिया के अनुरूप आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र के समय दी गई जानकारी के आधार पर केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण-पत्र ही जारी करेगा।
2. जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिनांक तक अर्ह शैक्षणिक योग्यता अर्जित नहीं की है एवं राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें Provisional Electronic Certificate जारी किया जाएगा। यह प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में अपेक्षित प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होने से पश्चात् ही मान्य होगा।

R. विशेष निर्देश

1. राज्य पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योंकि आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा-शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर/मूल निवासी प्रमाण पत्र/दिव्यांगता होने का प्रमाण पत्र आदि की मांग नहीं की गई है। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें।
2. परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
3. जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में (अक्टूबर 2025 के पूर्व) यू.जी.सी. नेट/सी.एस.आई.आर. नेट/मध्य प्रदेश स्लेट/सेट के जिस विषय में पात्रता प्राप्त कर लिए हैं, वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा- 2025, हेतु आवेदन न करें।
4. अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, विषय परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए एवं आवेदक के साथ प्रवेश पत्र संलग्न करना चाहिए।
5. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आय.डी. पर ही एस.एम.एस. या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाएं दी जाएगी।
6. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओएमआर शीट एवं प्रश्नपत्र को क्षति पहुंचाना, धोस देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाना एवं जमा न करना आदि दंडनीय माना जाएगा।
7. ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तरपुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिह्न लगाएगा, तो उसे पहचान चिह्न बनाया माना जाएगा। ऐसे पहचान चिह्न वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाइल, केलकुलेटर, पेंसिल, रबर, शार्पनर, व्हाइटनर, पेजर, गाड़ी की चाबी एवं किसी भी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।
9. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले की सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हॉल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
10. यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है, तो आयोग अथवा एमपी ऑनलाइन से संपर्क करें।
11. यदि किसी अभ्यर्थी का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है, परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है, तो वह केन्द्राध्यक्ष से सम्पर्क कर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।
12. राज्य पात्रता परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। पात्रता परीक्षा के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त किया जाएगा। यदि वह राज्य पात्रता परीक्षा में अर्ह भी पाया जाता है तो असत्य जानकारी पाई जाने पर अर्हता प्रमाण-पत्र से वंचित किया जाएगा।
13. अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात् ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी -

01	आधार कार्ड	06	पासपोर्ट
02	मतदाता पहचान पत्र	07	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
03	ड्रायविंग लायसेंस	08	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
04	पैन कार्ड	09	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
05	केन्द्र/राज्य शासन/सार्वजनिक सेवा के उपक्रम के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र		

14. आयोग की परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है, किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया

जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आए और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलम्ब, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर, मध्य प्रदेश को दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

S. ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधी अनुदेश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र www.mponline.gov.in अथवा mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
2. अभ्यर्थी निम्नांकित माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं—
 - अ. स्वयं अपने घर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
 - ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी Mponline के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकृत कियोस्क की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25kb से 200kb तक www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।

i. फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश

1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो, जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मा लगाते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हो।
4. टोपी/हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हों।
6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।
7. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह सोंच समझकर सावधानी रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्मतिथि को उल्लिखित करें जो उनकी हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लिखित/अंकित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लिखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।
8. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गई है, को सही रूप से अंकित करें।
9. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गई जानकारी ही प्रामाणिक जानकारी मानी जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।
10. आवेदन-पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। pop up window में ok बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें

उसके आवेदन-पत्र कमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह unpaid होगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें की नाम में कोई सुधार, त्रुटि के दौरान भी नहीं किया जा सकेगा।

11. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र Submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा, जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लिखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र कमांक का उल्लेख करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन पत्र कमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी "Payment Done" उल्लिखित आवेदन-पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदन-पत्र को जमा मानें।

ii. त्रुटि सुधार सुविधा

1. आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर प्रति सत्र त्रुटि सुधार रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
2. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष/अन्य)/दिव्यांगजन आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

iii. महत्वपूर्ण निर्देश

1. आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गई है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।
2. आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखे। आवेदन पत्र में अंकित आवेदन-पत्र कमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे।

iv. अत्यावश्यक निर्देश

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान कर त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
3. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगता) लिंग (महिला/पुरुष/अन्य) आदि के आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे।
4. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों/निर्देश के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी जैसे- शैक्षणिक अर्हता, श्रेणी, मूल/स्थानीय निवासी, आयु, जाति, दिव्यांगता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि परीक्षा के किसी भी स्तर पर आयोग के संज्ञान में आती है, तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त करते हुए विवर्जित (Debar) किया जाएगा।

v. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
रु. 250 /-	रु. 500 /-
उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- पोर्टल शुल्क भी देय होगा	

1. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं- हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211।
2. केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

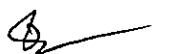
vi. ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

1. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा- 2025 के लिए आवेदन-पत्र वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in अथवा www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए www.mponline.gov.in पर [locatekiosk/CSCLink](#) देखें।
2. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन-पत्र/परीक्षा शुल्क भरने की विधि-

अभ्यर्थी https://www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर CitizenServices पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर  बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्रान दिखाई देंगे।
Click here to Apply
Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt
Click here to Edit
Download Admit Card Duplicate Receipt/ View Application Status
Click Here to View Advertisement

अभ्यर्थी फार्म भरने से पहले [Click here to view Advertisement](#) को क्लिक कर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत अभ्यर्थी [Click here to Apply](#) को क्लिक करें। इसके उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। अभ्यर्थी को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Upload Image दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर अभ्यर्थी को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक्स) दिखाई देगी। Links को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट ही सेव करें। अब अभ्यर्थी Upload Image बटन क्लिक करें। इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में अभ्यर्थी ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (अर्थात आवेदन करने की तिथि के) आरंभ होने से फोटो अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है, वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है, तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे अभ्यर्थी को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क हेतु निम्नानुसार विकल्प दिखाई देंगे -

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)



2. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड

3. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क व भुगतान – अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। अभ्यर्थी फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग विकल्प दिखाई देगा, इसे क्लिक करने पर अपने बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आय.डी. पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नंबर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य ले एवं उसे संभालकर रखें।

4. क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान – अभ्यर्थी किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबा कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। अभ्यर्थी इस रसीद को संभालकर रखें। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नंबर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। अभ्यर्थी ध्यान रखे कि उनका आवेदन पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आउट हो जिस पर भुगतान की गई राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।

vii. एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन-पत्र/परीक्षा शुल्क भरने की विधि

1. अभ्यर्थी आवेदन फार्म अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क से भर सकता है। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आय.डी. और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉगिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारीयां अभ्यर्थी को उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई जानकारीयां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत अभ्यर्थी कियोस्क संचालक अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा ले एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाए। कियोस्क संचालक अभ्यर्थी का फोटो-हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयां अच्छी तरह पढ़ ले। अभ्यर्थी सभी जानकारी सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद अभ्यर्थी को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही अभ्यर्थी से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।
2. अभ्यर्थी इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा अपने पास संभालकर रखे अभ्यर्थी ध्यान रखे कि उनका आवेदन पत्र तभी जमा मान्य होगा, जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिस पर भुगतान की गई राशि "Payment Done" अंकित हो। जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
3. यदि अभ्यर्थी के पास क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म को कियोस्क के माध्यम से Pay for Unpaid Application /Duplicate Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है।
4. इसके लिए अभ्यर्थी को उपर्युक्त बताए गए बिंदु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन कमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for Unpaid Application /Duplicate Receipt लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारीयां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक अभ्यर्थी को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ अभ्यर्थी भरी गई समस्त जानकारीयां अंकित होगी। अभ्यर्थी ध्यान रखे कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंट आउट जिस पर भुगतान की गई राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।

६

T. परीक्षा पूर्व प्रवेश-पत्र प्राप्ति प्रक्रिया संबंधी

1. परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in निर्धारित लिंक पर आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाइन परीक्षा के 10 दिन पूर्व से प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी के प्रवेश-पत्र पर परीक्षा की तिथि एवं समय अंकित होगा।
2. प्रवेश-पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन क्रमांक गुम हो गया है तो वे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध Important links या mponline पर उपलब्ध know Your Application Number के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रवेश पत्र (ऑनलाइन एडमिट कार्ड) तैयार किया जाएगा।
5. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट प्राप्त करना होगा। आवेदक यदि अपने प्रवेश-पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है या छेड़छाड़ करता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

U. ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट का उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश-

ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन ऑप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा। अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक करें-

1. गोले को काली स्याही की बाल पॉइंट पेन से पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा, अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
2. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफ कार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्न पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
3. ओ.एम.आर. शीट अत्यंत सावधानी पूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाएं और न ही किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/ऑप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
4. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियां सही रूप से कि गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट A,B,C,D अंकन न करने पर ओ.एम.आर. का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
5. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करना पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करना पर या किसी अन्य पेंसिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (X) लगाने पर ओ.एम.आर. कम्प्यूटर/ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।

i. ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए सामान्य निर्देश-

1. प्रश्नों के उत्तर ओ.एम.आर. शीट पर यथा स्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले A,B,C,D बने हैं। प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर A,B,C,D दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुन कर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काली स्याही के बॉल पॉइंट से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करना पर उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
2. ओ.एम.आर. में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/व्हाइटनर लगाने अथवा उत्तर बदलने का कोई भी अन्य प्रयास करने पर उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले स्याही के बॉल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D सेट में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले स्याही के बॉल पेन से हस्ताक्षर करें।
3. हस्ताक्षर ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर ही बॉल पॉइंट पेन से हस्ताक्षर करें।

4. ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टियां करने के लिए काली स्याही के बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (A,B,C,D के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियां सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।

ii. रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)

रोल नंबर के खाने में बाएं से दाएं 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नंबर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नंबर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर ओ.एम.आर. का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

रोल नं.	चित्र 1				
6	8	4	0	2	1
1	1	1	1	1	0
2	2	2	2	0	2
3	3	3	3	3	3
4	4	0	4	4	4
5	5	5	5	5	5
0	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	0	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

iii. परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर समय से पूर्व अर्थात् परीक्षा आरंभ होने से कम से कम 01 घण्टे पूर्व पहुंचना होगा। विलंब होने पर परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

a. प्रवेश संबंधी—

1. परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितान्त प्रावधिक है।
2. उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर समय से पूर्व अर्थात् परीक्षा के आरंभ होने से कम से कम 01 घण्टे पूर्व पहुंचना होगा। विलंब होने पर परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
3. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
4. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जांच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएंगे। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलकुलेटर, पेंसिल, रबर, शार्पनर, क्लाइटर, पेजर, गाड़ी की चाबी एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है। वॉच स्मार्ट, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार का संचार यंत्र चाहे वह बंद/चालू किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा।

b. निर्गमन—

1. सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही कक्ष से बाहर जा सकेगा।
2. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

3. प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
4. निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को ही 20 मिनट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

c. ओ.एम.आर. शीट पर प्रविष्टि संबंधी –

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एस.आर. शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले स्याही के बाल पाइंट पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

चित्र-

A	○
B	●
C	○
D	○

उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश-

1. केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग करें।
2. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।
3. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है-

INCORRECT गलत A X C D	INCORRECT गलत A ✓ C D	INCORRECT गलत A ● C D	INCORRECT गलत A ● ● D	CORRECT सही A ● C D
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

4. पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।
5. उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने/चिह्न (.) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।
6. ओ.एम.आर. शीट पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।
7. प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जांचा जाएगा।
8. गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. अभ्यर्थी अगर ओ.एम.आर. शीट में प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एवं वह अयोग्य माना जाएगा।

10. अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले सही नहीं भरता है या नहीं भरता है तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
11. अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही जमा करें।
12. अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने/मिटाने के लिए यदि पेंसिल/व्हाइटनर का उपयोग करता है तो अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

d. अनुचित साधन प्रकरण (UFM)–

परीक्षा हॉल कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर, केलकुलेटर आदि तथा पेंसिल, रबर, व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो, अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज होगा। परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भाव-भंगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे। आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा। परीक्षा की गोपनीयता – परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों। व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

विशेष– अनुचित साधन के प्रकरण कक्ष के वीक्षक तथा केंद्राध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा बनाए जायेंगे।

e. प्रश्न संबंधी शिकायत–

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 05 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (150/– रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज पृथक से देय) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 05 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियां सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ही उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

f. ओ.एम.आर. शीट का लौटाना –

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरान्त उसे वापस न दिया जाना, गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

g. ओ.एम.आर. शीट पर अन्य पूर्तियां संबंधी–

ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं। ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

h. प्रश्नपत्र पर अंकन संबंधी --

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए निर्धारित पृष्ठ पर ही करें। इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

i. उपस्थिति पत्रक संबंधी --

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

j. दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम--

अ) अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी --

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
3. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
4. उपर्युक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएं --

उपर्युक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा तिथि से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी, ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

1. लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें --लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए।)
2. प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें-- ऐसे अभ्यर्थियों को ही जिन्हें सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई हैं। केवल उन्हें ही प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। जिन्हें प्रति घण्टा 20 मिनट (कुल 60 मिनट) अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं--

यथासंभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द) अभ्यर्थी को पात्र सह लेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे--

1. उपर्युक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सह लेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है, वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

3. घोषणा-पत्र का प्रारूप-

मैं यह घोषणा करती/करता हूँ कि अभ्यर्थी अनुक्रमांक के सह लेखक के रूप में सेट- 2025 की परीक्षा में सह-लेखक कार्य के लिए परीक्षा तिथि को उपस्थित हूँ मेरी शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर से कम है। मैं वर्तमान में कक्षा की/का विद्यार्थी हूँ। मैं अपनी अंतिम अंक सूची की छायाप्रति परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को दे चुका/चुकी हूँ जिसे उन्होंने परीक्षा केन्द्र में जमा करा दिया गया है। मैं परीक्षा कक्ष के अनुशासनात्मक सभी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा असत्य जानकारी देने पर आयोग द्वारा की गई कार्यवाही मुझे मान्य होगी। मेरे द्वारा आयोग के विज्ञापन में उल्लिखित सह-लेखक के लिए मान्य परिचय-पत्र में से मेरे पास उपलब्ध परिचय-पत्र की छायाप्रति जमा करा दी गई है।

दिनांक

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी के सह-लेखक

नाम :-

पता :-

k. विविध-

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केलकूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर गाड़ी की चाबी तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गेजेट लाना वर्जित हैं। उपर्युक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण बनाया जाएगा।
3. परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।

I. अनुशासन व शालीनता संबंधी -

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य हैं।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाना चाहिए, यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है, तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

V. परीक्षा के पूर्व व पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घण्टा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके। इस प्रक्रिया में समय लगता है, अतः परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना चाहिए। परीक्षार्थी को परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने के पश्चात परीक्षार्थी के मूल फोटो का परिचय-पत्र, प्रवेश-पत्र एवं फोटो की जांच प्रवेश-पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जाएगा।
3. परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व तलाशी (Frisking) की जाएगी। जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएं अन्दर न ले जा सके।

4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर अपने साथ केवल निम्नलिखित सामग्री लेकर जाएं— आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया स्व-घोषणा पत्र (अंडरटेकिंग) के साथ विधिवत भरा हुआ प्रवेश पत्र (ए4 आकार के पेपर पर एक स्पष्ट प्रिंटआउट)। काली स्याही वाला बॉल प्वाइंट पेन, पारदर्शी पानी की बोतल, आईडी प्रमाण इत्यादि साथ रखें।

W. अनुचित साधन व्यवहार और परीक्षा नियमों का उल्लंघन

अनुचित साधन अभ्यास एक ऐसी गतिविधि है जो एक उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है, लेकिन यह यही तक सीमित नहीं है—

1. किसी भी ऐसी वस्तु या वस्तु के कब्जे में होना जो निषिद्ध है या जिसका उपयोग अनुचित व्यवहार के लिए किया जा सकता है, जिसमें कोई स्टेशनरी वस्तु, संचार उपकरण, सहायक उपकरण, खाने योग्य वस्तुएं, आभूषण या कोई अन्य सामग्री या जानकारी शामिल है।
2. परीक्षा लिखने (प्रतिरूपण) या नकल के लिए सामग्री तैयार करने के लिए किसी का उपयोग करना।
3. परीक्षा के संबंध में परीक्षा नियमों या जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन।
4. अन्य उम्मीदवारों को कदाचार में शामिल होने में सहायता करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की सहायता देना या प्राप्त करना या ऐसा करने का प्रयास करना।
5. उत्तर लिखने के लिए केंद्र अधीक्षक द्वारा दी गई किसी भी सामग्री पर प्रश्न या उत्तर लिखना।
6. परीक्षा केंद्र में परीक्षा के समय के दौरान परीक्षा स्टाफ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करना या संचार करना या ऐसा करने का प्रयास करना।
7. परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी अधिकारी को धमकी देना या किसी भी उम्मीदवार को धमकी देना।
8. परीक्षा के संबंध में किसी अन्य अवांछनीय पद्धति या साधन का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना।
9. ऑनलाइन दस्तावेजों में हेरफेर और निर्माण (प्रवेश पत्र, स्व-घोषणा पत्र, आदि)। परीक्षा केंद्र/हॉल में जबरन प्रवेश/बाहर निकलना।
10. परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना।
11. आवेदन पत्र/प्रवेश पत्र/प्रोफॉर्मा पर गलत/रूपांतरित फोटो/हस्ताक्षर लगाना/अपलोड करना।
12. परीक्षा के सुचारु और निष्पक्ष संचालन में बाधाएं पैदा करना।
13. आयोग द्वारा अनुचित साधन के रूप में घोषित कोई अन्य कदाचार।

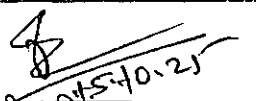
X. निर्देश

नियोक्ता प्राधिकारी को अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करते समय उम्मीदवार के मूल अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन अनिवार्यतः कर लेना चाहिए। उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत जानकारी के लिए राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर उत्तरदायी नहीं होगा। उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित राज्य पात्रता परीक्षा-2025 हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूर्ण करना होगा।

Y. कानूनी क्षेत्राधिकार

राज्य पात्रता परीक्षा-2025 के आयोजन से संबंधित सभी विवाद, परिणाम सहित परीक्षाएं केवल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएंगी।

Z. हेल्पलाइन — 0731-2701086, e-mail- mppscset.helpdesk@mp.gov.in


परीक्षा नियंत्रक
राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर